राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........17 / 2015....................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स सूर्यांश मार्केटिंग इण्डिया प्रा0 लिमिटेड, सोमानी बिल्डिंग, एम. आई. रोड, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
06 / 04 / 2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश क्रमांक प.4( )उपा. / प्रशा–III / कर / 2011–12 दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–बी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व नियम 19ए के तहत पारित आदेश दिनांक 21.07.2014 को पुनः खोलने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 34 अस्वीकार किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 का वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व नियम 19ए के एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.07.2014 को पारित करते हुए कुल मांग रूपये 8,83,13,674 / – की मांग कायम की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश को पुनः खोलने तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.2014 से इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकतरफा आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 8,83,13,674 / – की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री यशस्वी शर्मा एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। लगातार.................2	

लगातार.................2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........17/2015...................................... जिला ....जदयपुर...

अपीलार्थी : मैसर्स सूर्यांश मार्केटिंग इण्डिया प्रा0 लिमिटेड, सोमानी बिल्डिंग, एम. आई. रोड़, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06/04/2015

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर प्रकरण में एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए भारी मांग कायम की गयी है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी ने भी धारा 34 का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को न्यायोचित बताते हुए अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि **रूपये 8,83,13,674/–** की वसूली पर आगामी तारीख पेशी तक इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे।

पक्षकारों को सूचित किया जावे तथा पत्रावली वास्ते सुनवाई खण्डपीठ के समक्ष दिनांक 08.06.2015 को पेश हो।

सदस्य **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	**सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**